

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कारखाने के बीमा हेतु ई-निविदा वर्ष 2023-24

निविदा प्रपत्र

ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1639(06)

दिनांक 06/10/2023

ऑन लाईन ई-निविदा क्रमांक 149359

पेराई सत्र 2023-24 के लिए बीमा हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

1	बीमा कम्पनी/फर्म का नाम	श्री/मेसर्स
2	फर्म का पता
3	निविदा फार्म का मूल्य	रुपये 1311.00 (एक हजार तीन सौ ग्यारह रुपये मात्र) वापसी योग्य नहीं है को www.eproc.cgstate.gov.in में जाकर ऑनलाईन पेमेन्ट करना होगा। जमा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4	निविदा प्रपत्र विक्रय/प्रपत्र जमा करने की तिथि एवं समय	दिनांक 07/10/2023 को साम 05.00 बजे से दिनांक 23/10/2023 को समय दोपहर 12.00 बजे तक www.eproc.cgstate.gov.in से निर्धारित शुल्क जमा कर डाऊनलोड कर भरकर अपलोड सकते हैं।
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 23/10/2023 को समय साम 05.00 बजे के बाद।



प्रबंध संचालक
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम-केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर
ग्राम-केरता जिला सूरजपुर (छ0ग0)

कारखाने का बीमा हेतु ई-निविदा वर्ष 2023-24

1. बीमा कम्पनी/फर्म का नाम	:
2. पता	:
	:
	:
3. मोबाईल नं.	:
4. ई-मेल आई.डी.	:
5. जी.एस.टी. नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	:
6. फर्म का पैनकार्ड नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	:
9. बैंक का नाम	:
10. खाता क्रमांक	:



निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर

-:: निविदा की शर्तें ::-

ई-निविदा विज्ञापित क्रमांक 1639(06)

दिनांक 06/10/2023

1. निविदाकार को तकनीकी भाग - 2 के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नम्बर की छायाप्रति, एवं वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में से किसी तीन वर्ष का किन्तु लगातार वर्ष का आयकर रिटर्न अथवा बैलेन्सशीट अथवा आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी भाग - 2 में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं व्यावसायिक भाग - 3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. बीमा हेतु दर जी.एस.टी. रहित दिया जाना होगा दी गई दर पर जी.एस.टी. अतिरिक्त दी जावेगी, जी.एस.टी. के अतिरिक्त समस्त प्रकार के कर कम्पनी को वहन करना पड़ेगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा। जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा जिससे कारखाना को जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके। जी.एस.टी. का क्रेडिट नहीं मिलने पर अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।
4. बीमा पॉलिसी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पॉलिसी का नाम	विवरण
01	स्टैण्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल्स	बिल्डिंग, बाऊडरी वाल फर्नीचर इलेक्ट्रीकल फिटिंग रु. 70 लाख प्लॉट एवं मशीनरी रु. 20 करोड़, स्टॉक शक्कर एवं कच्चा स्कंध 62 करोड़ मोलासिस एवं अन्य सह उत्पाद 03 करोड़
02	एम्पलायर्स लाईबलीटीस इंश्यूरेन्स	लिपिक, ऑफिस, तकनीकी कर्मचारी संख्या 253 क्रसिंग सीजन में लगभग 462 श्रमिक कुल अनुमानित वार्षिक वेतन 4.36 करोड़
03	बॉलयर एक्सप्लोजन पॉलिसी	क्षमता 65 टन प्रति घण्टा इंधन बॉयलर की कीमत लगभग 4.35 करोड़ 1. तृतीय पक्ष सम्पति नुगसान - 50 लाख 2. तृतीय पक्ष व्यक्तिगत दुर्घटना - 50 लाख 3. स्वयं की सम्पति 50 लाख
04	STFI Cover & Burglary	अग्नि एवं विशेष खतरों मानक अनुसार एवं चोरी 10 करोड़ (Standard Fire & Allied Peris With STFI Cover & Burglary)
05	Group Personal Accident Insurance	अधिकारियों हेतु बीमित राशि 10.00 लाख प्रति व्यक्ति, संख्या 10 तकनीकी कर्मचारियों हेतु बीमित राशि 05.00 लाख प्रति व्यक्ति, संख्या 150 लिपिकीय कर्मचारियों हेतु बीमित राशि 04.00 लाख प्रति व्यक्ति, संख्या 50

5. निविदाकार कम्पनी अपने अधिकृत प्रतिनिधि/अभिकर्ता को निविदा में भाग लेने हेतु भेजने पर अभिकर्ता/एजेन्ट प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पर प्रस्तुत करना होगा।



6. कारखाने का बीमा हेतु अवधि दिनांक 28/01/2024 से 27/01/2025 तक के लिए होगा।
7. कारखाने में मशीनरी पार्ट्स क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त सामग्री का मूल्य बीमा कम्पनी से अविलंब दिलाने हेतु समस्त प्रकार की कार्यवाही करना होगा।
8. कारखाना में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा कवर किया जाना अनिवार्य होगा एवं बीमा भुगतान की कार्यवाही सरल प्रक्रिया के तहत करना होगा।
9. कार्यालयीन आदेश प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अनुबंध करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में भुगतान संभव नहीं होगा। कारखाना बीमा की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व बीमा सम्बंधी समस्त प्रकार की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
10. बीमा निविदा की व्यावसायिक भाग में दी गई समस्त बिन्दु अनुसार बीमा कराया जाना है कारखाना की प्लॉट मशीनरी, अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर, बिल्डिंग, शक्कर एवं सह-उत्पाद, कच्चा स्कंध, की चोरी एवं प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटना तथा एक्ट ऑफ गॉड होने पर बीमा कवर किया जाना अनिवार्य होगा।
11. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।
12. अध्यक्ष/क्रय विक्रय समिति/प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कार्यदेश निरस्त करने सम्बंधी पूर्ण अधिकार होगा।



निविदाकार कम्पनी/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं.....फर्म

.....प्रतिनिधि का नाम.....

पिता का नामपता.....

.....का निवासी

हूँ मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नहीं करूंगा।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मैंने निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं किया है और नहीं कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।



निविदाकार का हस्ताक्षर